न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 29 / 2020 अपील / प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 14.02.2020
निर्णय दिनांक– 05.08.2020

1. श्री मोहनलाल पिता हीरालाल गुर्जर, निवासी डावटा, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्रीमती सुन्दरबाई पत्नि हीरालाल गुर्जर, निवासी डावटा, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री राजबाबु पुत्र कैलाशचन्द्र अहीर, निवासी गणेशपुरा, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्रीमती ललिताबाई पत्नि राजाबाबु अहीर, निवासी गणेशपुरा, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..................रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री तारेश्वर मोड :अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री गोविन्द प्रसाद कुमावत :अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट(बवक्त बहस अनुपस्थित)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़
के प्रकरण संख्या 10 / 2013 निर्णय दिनांक 13.04.2015

निर्णय

दिनांक–05.08.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 10 / 2013 निर्णय दिनांक 13.04.2015 के विरूद्ध दिनांक 30.06.2015 को मय प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के

साथ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 23.01.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 14.02.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम डावटा पंचायत गणेशपुरा, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ की आराजी संख्या 61 में से रकबा 0.30 है. बिलानाम भूमि जो अपीलान्ट के विगत कई वर्षो से निरन्तर निर्विघ्न कब्जे–काश्त की भूमि है। उक्त भूमि आराजी संख्या 61 एवं 64 कुल रकबा 2.00 है. पर अपीलान्ट को अतिक्रर्मी मानते हुए उनके विरूद्व वर्ष 2010 में धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर शास्ति (पेनेल्टी) भी वसुली गई तथा अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली की कार्यवाही अवशेष रहते हुए भी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 के दौरान कैम्प स्थल गणेशपुरा दिनांक 14.04.2013 को शिविर प्रभारी (उपखण्ड अधिकारी) छोटीसादडी द्वारा रेस्पोडेन्ट को उक्त ग्राम के निवासी नहीं होने एवं आवंटन हेतु पात्रता नहीं रखने वाले होते हुए भी उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया जो विधि विरूद्व होने से अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के यहॉ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा नियम 14(4) L.R. Act.1970 नियम 14(4) आवटन बाबत प्रस्तुत किया गया। विपक्षी रेस्पोडेंट का जवाब एवं न्यायालय में कथन किया कि विपक्षीगणों (आवंटी) को आवंटित भूमि पर नियमित कब्जा काश्त होने से विपक्षीगण (आवंटी) के विरूद्व लगातार धरा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती रही है, जिसके फलस्वरूप आवंटन की योग्य पात्रता के चलते विपक्षीगण (आवंटी) आवंटन विधिक दृष्टि से सही है। प्रश्नगत भूमि आवंटन राजस्व अभियान 2013 के दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ही किया जाना था। विपक्षीगण (आवंटी) उसी ग्राम पंचायत गणेशपुरा के निवासी है जो कि आवंटन नियम 1970 में वर्णित पात्रता आधार निवासीयान स्थिति के अनुसार भी प्रथमश्रेणी के पात्रताधिकारी है। साथ ही निवेदन किया की उसी भूमि खसरा संख्या 61 में से अपीलान्ट को भी उनके आवेदन

अनुसार आवंटन किया गया था जबकि अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार श्रेणी के काश्तकार भी नहीं रहें है। अपील अपीलान्ट खारीज फरमाये जाने की मांग के साथ आवंटन बहाल रखा जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.04.2015 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया *"प्रकरण में आवंटित की गई प्रश्नगत भूमि आराजी संख्या 61 जिसका कुल रकबा क्षेत्र 2.86 है. होकर विपक्षीगण (आवंटी) को किया गया आवंटन रकबा 0.30 है. रहा है तथा इसी भूमि रकबा क्षेत्र में से कुछ रकबा क्षेत्र प्रार्थीगण/अपीलांट को भी आवंटन किये जाने संबंधी तथ्यांकन दौराने बहस उल्लेखित हुए है। जहां तक प्रश्नगत प्रकरण में वकील प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से दिये गये तर्क अनुसार विपक्षीगण (आवंटी) उक्त ग्राम के निवासी नही होने एवं किया गया आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उसी ग्राम में जाकर नहीं किये जाने तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण/अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि होना बताते हुए आवंटित भूमि को* **Unoccupied** *(अनाधिकृत) भूमि मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किये गये आवंटन को इन आधारो पर अपास्त योग्य बताया है। इन बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों एवं आवंटन नियमों के गहन अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में विहित विवाद्यक स्थितियों प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनुसरण में स्पष्ट होता है कि "राज्य सरकार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक* **F. 6 (84) Rev. &II/53** *जयपुर दिनांक 02.12.1953* **(Rules and Procedure for Allotment of Unoccupied Agriculture Lands.)** *के पैरा 4 के अनुसार आवंटन हेतु विपक्षीगण (आवंटी) भी उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासी होने से प्रथम श्रेणी के आवंटन अधिकारी प्रतीत होते है। इसी प्रकार आवंटन कमेटी द्वारा प्रकरण में किया गया आवंटन राज्य सरकार द्वारा संचालित "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013" दौरान किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार इस प्रकार के शिविरो का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर किये जाने के दिशा–निर्देश विहित रहे है। ऐसी स्थिति में इस तर्क की अनुपालना प्रकरण में किया जाना तर्क संगत नहीं दिखता है। साथ ही आवंटित भूमि के बिना कब्जे की* **Unoccupied** *(अनाधिकृत) भूमि होने के संबंध में आवंटन नियमों के तहत आवंटन सलाहकार समिति में निहित क्षेत्राधिकार अनुसार आवंटन कार्यवाही प्रभावित नहीं होती है। किन्तु*

नियमितीकरण के प्रकरणों में इन्हीं नियमों के तहत किये जाने वाले नियमन हेतु लगातार कब्जा काश्त अनिवार्य शर्तो में विहित रहती है। जहां तक प्रश्नगत भूमि पर कब्जे काश्त का विषय है तो प्रकरण में प्रस्तुत विभिन्न धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के नोटिस उभयपक्षकारों के पक्ष में अलग–अलग समयावधि में जारी किये जाने संबंधी तथ्यांकन उद्रित हुए है। किन्तु आवंटन आदेश दिनांक 14.04.2013 के पश्चवर्ती क्रम में (विगत वर्षो में) जारी धारा 91 नोटिस विपक्षीगण (आवंटी) को जारी किये गये है। जिससे उक्त भूमि पर आवंटित रकबा क्षेत्र में वर्तमान कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्टतया दर्शित रिकार्ड हुई है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन विपक्षीगण (आवंटी) के पक्ष में निहित रहा है। तथा इसी भूमि रकबा क्षेत्र में से प्रार्थीगण/अपीलांट को उनके आवेदन अनुसार भूमि आवंटन किया जाना जिससे प्रकरण के किन्हीं भी पक्षकारन का कोई भी हित दुष्प्रभावित नहीं हुआ है। साथ ही प्रकरण के युक्ति–युक्त विश्लेषण हेतु तहसीलदार छोटीसादडी के पत्र क्रमांक राजस्व/2014/682 दिनांक 17.12.2014 के अनुसार विपक्षीगण (आवंटी) को किये गये आवंटन संबंधी व कब्जे काश्त के साथ ही राजस्व रिकार्ड अनुसार विपक्षीगण (आवंटी) की पात्रता के संबंध में कोई भी विरोधाभासी स्थितियों का उल्लेख नही किया जाना अर्थात् विपक्षीगण (आवंटी) को किये गये आवंटन के संबंध में कोई आक्षेप विहित नही किये गये है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण (आवंटी) को किया गया आवंटन विधिक नियमों के तहत आक्षेप विहिन होने से अपास्त किया जाना अनुचित प्रतित होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी सिद्ध योग्य नही पाये जाने से खारीज किया गया तथा विपक्षीगण (आवंटी) को किया गया आवंटन आदेश मिसल नम्बर 88/13 दिनांक 14.04.2013 को यथावत बहाल रखा गया।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री तारेश्वर मोड उपस्थित व रेस्पोडेन्ट व अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा बहस दिनांक 23.07.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट के नाम में संशोधन किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि विपक्षीगण (आवंटी) को आवंटित भूमि पर अपीलान्ट का विगत कई वर्षो से कब्जा होकर काश्त की जा रही है एवं अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आते है तथा आवंटित भूमि अपीलान्ट के निजी खातेदारी से लगती हुई भूमि होकर उसी ग्राम के मूल निवासी है, जिससे आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलान्ट का रहा है। विपक्षीगण (आवंटी) इस ग्राम के निवासी भी नही है ओर न ही कभी उक्त भूमि पर काबिज रह है तथा विपक्षीगण (आवंटी) द्वारा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र में निजी खातेदारी एवं कब्जे काश्त संबंधि तथ्य मिथ्या एवं गलत अंकित किये गये है। तथा आवंटन कमेटी द्वारा उक्त ग्राम से पृथक ग्राम में आवंटन कार्यवाही संपादित की जाकर आवंटन किया जाना नियमों के विरूद्ध रहा है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः बुद्धराम बनाम बदामी एवं अन्य 2006, 1994(1) RLR 330 (RRD March Page No- 141 to 145) का हवाला प्रस्तुत करते हुए आवंटन विपक्षगण (आवंटी) निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के आवेदन पर अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.04.2015 को किया गया गया है। दिनांक 13.04.2015 के निर्णय की अपील के लिए 60 दिवस की अवधि दिनांक 12.06.2016 होती है, जबकि अपील दिनांक 30.06.2015 को पेश की गई है प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिये गये अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में अब हम अपीलांट की अपील पर गुणावगुण विचार करना उचित समझते है। प्रकरण में सुस्पष्ट है कि अपीलांट रेस्पोडेंट विपक्षी को आवंटित भूमि पर अपना अतिक्रमण एवं कब्जा होना बताते

हुए विपक्षी रेस्पोडेंट को किये गये आवंटन को त्रुटिपूर्ण होना बताता है। यह भी स्पष्ट है कि आवंटन वर्ष में अपीलांट का कब्जा निरन्तर रखे जाने अथवा नियमित किये जाने का कोई साक्ष्य पेशशुदा नही है। यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट/उसके परिजनों को विपक्षी आवंटी के आवंटन के साथ–साथ उसी आवंटन दिनांक को विवादित भूमियों में से भूमि आवंटित हुई है। प्रथमतया तो अतिक्रमी का कोई लोकस स्टेण्डाई नही होता परन्तु इसके विपरीत जब अपीलांट/उसके परिजनों को विपक्षी आंवटी के साथ ही आवंटन सलाहकार समिति ने उसी दिनांक को विवादित भूमियों में से भूमि आवंटित की है तो फिर समग्र 2 हैक्टेयर भूमि का सारा आवंटन अपीलांट को कर दिया जाये यह न तो विधिपूर्ण है न ही न्यायसंगत है। प्रकरण में जहां तक आवंटन प्राथमिकता एवं अनाधिवासित भूमि का अपीलांट का आक्षेप है इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्य एवं विधि का आख्यापक विवेचन करते हुए अपीलांट के आक्षेपों को विवेचित कर खण्डन किया है, जिसे हम उचित पाते है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा पेश की गई दोनो न्यायिक नजीरे बाबत अनाधिवासित भूमि एवं कब्जे इत्यादी तथ्य अपीलांट के पूर्व अतिक्रमी होने व उसे/उसके परिजनों को भूमि आवंटन हो जाने के मध्यनजर इस प्रकरण पर चस्पा नही होते।

प्रकरण में हम अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील को उपरोक्त विवेचनानुसार तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये पूर्ण तथ्यात्मक एवं विधि विवेचन के दृष्टिगत सारहीन पाते है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज की जाती है।

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर